# स्वतंत्रोत्तर चंपारण में बाल विवाह की स्थिति

**डॉ. पूर्णिमा कुमारी**

बाल–विवाह, बाल–अधिकारों का हननकर्ता है यह अक्सर लड़का एवं लड़की दोनों के साथ होता है। अभी भी भारत में 21 वर्ष का लड़का एवं 18 वर्ष की लड़की की शादी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। भारत में 23,000000 लड़कियां इस सच्चाई का सामना करती है। चूकि प्रत्येक वर्ष देश 8 प्रतिशत की दर से उन्नति कर रहा है जबकि इसकी तुलना में प्रति वर्ष बाल–विवाह कम से कम एक प्रतिशत अंक के साथ घट रही है। बाल विवाह प्रसार में लैंगिक असमानता और अन्याय की झलक दिखई देती है, बाल–विवाह का प्रसार वंचित समूहों, गरीब परिवारों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक है। बहुत से कारक इस घटना को घटित होने में योगदान देते हैंः लिंग मानक और अपेक्षाएं, आस पास की पारंपारिक प्रथाएं लड़कियों की सुरक्षा की चिंता एवं पारिवारिक सम्मान, गरीबी, सीमित शिक्षा एवं आजीविका के अवसर और कमजोर कानूनी कार्रवाई। विशेष रुप से पितृसत्तात्मक मूल्य बाल–विवाह होने में मुख्य भूमिका अदा करता है। लड़कियां पिता का घर छोड़कर पति के घर जाने वाली सम्पति के रुप में देखी जाती है मानी जाती है। उनके परिवार द्वारा गृहणियों के रुप में हीं कल्पना की जाती है जो उनका भविष्य है।